संख्या - 010/सी.आर.डी/003
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 28.09.2010

परिपत्र संख्या 33/09/10

विषय: अभियोजन की स्वीकृति देने में विलंब की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश संबंधी ।

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 06.11.2006 तथा 20.12.2010 के कार्यालय ज्ञापन सं0 399/33/2006-एवीडी-III तथा आयोग के दिनांक 23.06.2010 के परिपत्र सं0 22/06/10 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है जो अभियोजन की स्वीकृति देने में विलंब की रोकथाम करने के लिए दिशानिर्देशों के संबंध में है । यह निर्धारित किया गया है कि अभियोजन के लिए स्वीकृति मांगने का केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो का अनुरोध प्राप्त होने के **तीन सप्ताह** के भीतर मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को अपना अंतरिम दृष्टिकोण प्रतिपादित करने की तथा आयोग से सलाह मांगने की आवश्यकता है ।

2. आयोग के ध्यान में यह आया है कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है । अत:, यह निर्णय लिया गया है कि यदि 3 सप्ताह के भीतर सक्षम प्राधिकारी से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट पर आयोग को पत्राचार/टिप्पणियां प्राप्त नहीं होती हैं तो आयोग अपनी ओर से अपनी सलाह देगा । सक्षम प्राधिकारी से तीन सप्ताह के पश्चात लेकिन 31 दिनों से पहले प्राप्त हुए किसी पत्राचार/टिप्पणियों पर आयोग द्वारा पुनर्विचार अनुरोध के रूप में कार्रवाई की जाएगी तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग एक पखवाड़े के भीतर, विशेषज्ञों से परामर्श करने के पश्चात, अपनी सलाह देगा । केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो की रिपोर्ट प्राप्त होने के 31 दिनों के पश्चात सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त हुए किसी पत्राचार/टिप्पणी पर आयोग द्वारा कार्रवाई नहीं की जाएगी तथा उसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को अंतिम निर्णय के लिए भेज दिया जाएगा ।

ह0/-
(विनीत माथुर)
निदेशक

सेवा में

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के सचिव ।
2. सार्वजनिक उद्यमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/वित्तीय संस्थानों/स्वायत्तसाशी संगठनों के सभी अध्यक्ष-प्रबंध निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी ।
3. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।
4. केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ।